


# फर्द अहकाम

रामरतन बनाम उभारता वर्गे ०

उपरोक्त अधिकारी जमनालमगट, जयपुर

न्यायालय संख्या

56/2023


संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03/07/23	<p>यह जायना पत्र प्राथमिकता की ओर से अधिकृत श्री सलनावाल अधिकारी ने पेश किया। वकील प्राथमिकता के अन्तर्गत पर एक तरफा हुनाशाल पत्रावली व पत्रावली में सलनावाल अधिकारी का मतलोकन करने पर उक्त उक्त दृष्टि, सुदृष्ट एवं शुद्धि का समुपन प्राथमिकता के पक्ष में उतीत होता है। अतः अप्राथमिकता को परिधि अन्तर्गत आवाही निषेधाज्ञा से आवाही पद्वार (15) दिवस तक पाबन्द किया जाता है कि वक्तें ग्राम दुरेल तल्लील आंधी में स्थित अति खाल नम्बर 206, 207, 208, 213, 214, 218, 219, 220 में किसी प्रकार की दावल अन्दाजी नहीं करे, भूक्ति का बेचान हस्तान्तरण नहीं करे, किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण नहीं करे तथा मौका व राजस्व रिकार्ड की प्रधातिपति बनाये रहे। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रार होकर नोटिस अप्राथमिकता को जारी होकर बलवी रजिस्ट्रार डाक से करवाई जाकर पत्रावली दिनांक 17/7/23 को पेश है।</p>	
	17/07/23	<p style="text-align: center;">  </p> <p>पत्रावली पेश हुई प्राथमिकता में मूल दावे को आज कियो कर लिया है। जिस कारण उक्त</p>	<p>रामरतन रीटिका</p>

# फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा वा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर पत्रावली फौसल शुद्धात होकर दारिखल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;"> मुकेश अधिकारी न्यायालय, खयपुर</p>